

24 अप्रैल, 2020

सरकारी आदेश 2020-31

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेश

कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 29)

जबकि, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो व्यक्तियों में श्वसन संचारों के माध्यम से फैल सकता है और इन्फ्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (पहला राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (फर्स्ट ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन)); और,

जबकि, मैंने कोविड-19 के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) (the Second Gubernatorial Disaster Proclamation), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा (First Gubernatorial Disaster Proclamation), के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएँ (the Gubernatorial Disaster Proclamations); और,

जबकि, पूरे इलिनॉय राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम रहती है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाय इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

जबकि, सामाजिक दूरी बनाए रखना, जिसमें लोगों के बीच कम-से-कम छह फीट की दूरी बनाए रखनी होती है, अब भी हमारे समुदायों में कोविड-19 के प्रसार को न्यूनतम करने की सर्वोत्तम रणनीति है; और,

जबकि, 13 मार्च, 2020 को मैंने कार्यकारी आदेश 2020-05 जारी किया था जिसमें सार्वजनिक/सरकारी एवं निजी प्री-के-12 स्कूलों को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए 17 मार्च, 2020 से 30 मार्च, 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया गया था; और,

जबकि, कार्यकारी आदेश 2020-18 ने कार्यकारी आदेश 2020-05 को राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि, जिसे वर्तमान में 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाया गया है, के लिए पूर्णरूपेण विस्तार दिया जाता है।

जबकि, शिक्षक, विद्यालय सहयोग कार्मिक, या प्रशासक तैयारी कार्यक्रमों में वर्तमान में 15,000 से अधिक अभ्यर्थी मौजूद हैं; और,

जबकि, 2020 के वसंत में, जब राज्य कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने के कदम उठाना शुरू किया था, ऐसे 7,500 अभ्यर्थी अपनी विद्यार्थी अध्यापन एवं प्रशिक्षता (इंटरनशिप) पूरी करने की प्रक्रिया में थे; और,

जबकि, ये सभी शिक्षक 2020-2021 स्कूली वर्ष से आरंभ करते हुए इलिनॉय के सार्वजनिक/सरकारी स्कूलों में बच्चों को अपना सेवाएं देने की इच्छा रखते हैं; और,

जबकि, इलिनॉय में ऐसे 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो हाई स्कूल उत्तीर्ण करने की तैयारी में लगे हैं, और ऐसे 1,00,000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की तैयारी में लगे हैं; और,

जबकि, संपूर्ण इलिनॉय के सामुदायिक कॉलेजों में ऐसी कई निर्माण परियोजनाएं और पूंजी सुधार हैं और परियोजनाओं का समय से पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं और सुधारों पर समय से बोली लगाना, उन्हें स्वीकृत किया जाना और आरंभ किया जाना आवश्यक है;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) के रूप में मुझे प्रदत्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(8), और 7(12), के अनुसरण में, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ जो 24 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा और राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लामेशन्स) की शेष अवधि तक लागू रहेगा:

अनुभाग 1. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/21B-30(f), का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो अध्यापक तैयारी कार्यक्रम पूरा करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राज्य शिक्षा परिषद (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) द्वारा अनुमोदित एक अध्यापक प्रदर्शन आकलन उत्तीर्ण करना आवश्यक करता है।

अनुभाग 2. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/21B-35(b), का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो पेशेवर शिक्षक अनुज्ञा (एजुकैटर लाइसेंस) पाने के लिए प्रयासरत ऐसे व्यक्तियों जिनके पास किसी अन्य देश का कोई तुलनीय एवं मान्य शिक्षक अनुज्ञा (एजुकैटर लाइसेंस) या प्रमाणपत्र (सर्टिफ़िकेट) है, के लिए विद्यार्थी अध्यापन पूरा करना आवश्यक करता है।

अनुभाग 3. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/21B-60(b)(3)(iii), का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो यह आवश्यक करता है कि प्रधानाचार्य तैयारी कार्यक्रमों में प्रशिक्षुता (इंटरशिप) के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं हों। प्रधानाचार्य तैयारी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थी 105 ILCS 5/21B-60(c) से सुसंगत पेशेवर शिक्षक अनुज्ञा (एजुकैटर लाइसेंस) पर प्रधानाचार्य अनुमोदन प्राप्त करेंगे, भले ही उन्होंने कोई प्रशिक्षुता (इंटरशिप) पूरी की हो या नहीं।

अनुभाग 4. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती, के वे निम्नलिखित उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो पेशेवर शिक्षक अनुज्ञाओं (एजुकैटर लाइसेंस) पर अनुमोदन के लिए प्रशिक्षुता (इंटरशिप) आवश्यक करते हैं:

- a. 105 ILCS 5/21B-25(2)(C) (मुख्य विद्यालय व्यापार अधिकारी अनुमोदन (चीफ़ स्कूल बिज़नेस ऑफ़िशियल एंडोर्समेंट), और
- b. 105 ILCS 5/21B-25(2)(D) (अधीक्षक अनुमोदन (सुपरइंटेंडेंट एंडोर्समेंट)।

अनुभाग 5. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड) 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्त, के वे निम्नलिखित उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो ऐसे आवेदकों के लिए प्रशिक्षुताएं (इंटरशिप) आवश्यक करते हैं जिन्हें किसी इलिनॉय द्वारा स्वीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम द्वारा प्राप्त नहीं बनाया गया है या जिन आवेदकों ने किसी अन्य देश में प्रशिक्षण पाया है:

- a. 105 ILCS 5/21B-35(b-5)(2.5) (प्रधानाचार्य या अधीक्षक के लिए अनुमोदित पेशेवर शिक्षक अनुज्ञा (प्रोफ़ेशनल एजुकैटर लाइसेंस एंडोर्स फ़ॉर प्रिंसिपल ऑर सुपरिंटेंडेंट)
- b. 105 ILCS 5/21B-35(b-10)(2) (मुख्य विद्यालय व्यापार अधिकारी अनुमोदन (एंडोर्समेंट फ़ॉर चीफ़ स्कूल बिज़नेस ऑफ़िशियल)

अनुभाग 6. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/14-1.09(1)(A), का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो स्कूली मनोवैज्ञानिक सेवाओं की प्रदायगी में कम-से-कम एक वर्ष का पूर्णकालिक, पर्यवेक्षणाधीन अनुभव आवश्यक करता है।

अनुभाग 7. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/14-1.09b(b)(3) के, और इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के टाइटल 23, अनुभाग 25.252(c)(4) में वर्णित तत्संबंधी विनियमों के वे उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो वाक-भाषा अनुमोदन के साथ विद्यालय सेवा कार्मिक प्रमाणपत्र (स्कूल सर्विस पर्सनेल सर्टिफ़िकेट विद अ स्पीच-लैंग्वेज एंडोर्समेंट) के लिए 150 घड़ी घंटों का स्कूल-आधारित पेशेवर अनुभव आवश्यक करते हैं।

अनुभाग 8. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती, के वे निम्नलिखित उपबंध स्थगित किए जाते हैं जो बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कुछ आकलन एवं पाठ्यक्रम आवश्यक करते हैं:

- a. 105 ILCS 5/2-3.64a-5(c) (राज्य आकलनों से गुजरने की आवश्यकता),
- b. 105 ILCS 5/27-3 (देशभक्ति एवं प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांतों पर एक संतोषजनक परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता),
- c. 105 ILCS 5/27-6(a) (हर 5-दिनी सप्ताह में न्यूनतम 3 दिनों के लिए किसी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में संलग्न होने की आवश्यकता), और
- d. 105 ILCS 5/27-12.1(a) (उपभोक्ता शिक्षा पढ़ाए जाने की आवश्यकता)।

अनुभाग 9. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/10-22.43a, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो किसी अनुमोदित नस्ली (एथनिक) स्कूली कार्यक्रम के माध्यम से अपने विदेशी भाषा क्रेडिट की पूर्ति करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विदेशी भाषा प्रवीणता परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करना आवश्यक करता है।

अनुभाग 10. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/27-6.5, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो शारीरिक फिटनेस आकलन आवश्यक करता है।

अनुभाग 11. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/27-22(e), का वह उपबंध जो हाई स्कूल डिप्लोमा पाने के लिए एक पूर्व-शर्त के रूप में कुछ पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे करना आवश्यक करता है, बारहवीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए स्थगित किया जाता है जो कोविड-19 (COVID-19) के कारण आमने-सामने के अनुदेशन के स्थगन के फलस्वरूप उक्त पाठ्यक्रम-कार्य को पूरा करने में असमर्थ हैं।

अनुभाग 12. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/27-21, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक पूर्व-शर्त के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का व्यापक ज्ञान होने का साक्ष्य प्रदर्शित करना आवश्यक करता है।

अनुभाग 13. इलिनॉय विद्यालय संहिता (स्कूल कोड) 105 ILCS 5/27-22.05, के अंतर्गत बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकताओं के स्थान पर जिन प्रशिक्षुताओं (अप्रेंटिशिप) या व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है उनके क्रेडिट्स से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को, कोविड-19 (COVID-19) के कारण आमने-सामने के अनुदेशन के स्थगन के फलस्वरूप उन पाठ्यक्रम प्रतिस्थापनों को पूरा करने में असमर्थता के कारण, वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुभाग 14. इस कार्यकारी आदेश के आशय को प्रभाव में लाने के लिए इलिनॉय राज्य शिक्षा परिषद (स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन) आवश्यकतानुसार आपातकालीन नियम दायर करेगा, जिनमें निम्नलिखित से संबंधित किसी भी नियामक उपबंध का स्थगन शामिल है: (1) विद्यार्थियों के लिए कक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकताएं; या (2) पेशेवर शिक्षक अनुज्ञाओं (एजुकएटर लाइसेंस) या अनुमोदनों (एंडोर्समेंट) के लिए विद्यार्थी अध्यापन, पर्यवेक्षणाधीन क्षेत्र अनुभव, या प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) की आवश्यकताएं।

अनुभाग 15. इलिनॉय सार्वजनिक सामुदायिक महाविद्यालय अधिनियम (पब्लिक कम्युनिटी कॉलेज एक्ट), 110 ILCS 805/3-27.1, का वह उपबंध स्थगित किया जाता है जो निर्माण के प्रयोजनों से बोलियों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा/प्रस्तुत किया जाना निषिद्ध करता है।

अनुभाग 16. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करण योग्य घोषित किया गया है।

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को जारी

राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को दर्ज